By:- Sunita Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दर्शन का परिचय
(The philosophy in the formation of Indian Constitution)

भारत के संविधान का मौलिक दर्शन हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना इस प्रकार है:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

इस प्रकार भारतीय संविधान में निहित दर्शन जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है वास्तव में इस युग के राजनीतिक दर्शन- कल्याणकारी राज्य की और उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र के दर्शन के अनुरूप था, जिससे संविधान का निर्माण किया गया।

सामाजिक-आर्थिक आधार

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीयों में यह विश्वास हो गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति स्वतः देश की सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर देगी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सारी सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों का हल नहीं हो सका।

2. राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद . प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कतिपय मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति की घोषणा करता है। ये उद्देश्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति है। चूंकि प्रजातंत्र का मौलिक आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है . इसलिए विचार , अभिव्यक्ति , विश्वास , धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को दूसरा उद्देश्य बताया गया है। नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता की गारण्टी देने के बाद प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी नागरिकों को प्रदान करती है।

3. संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता जनता के आर्थिक उत्थान और उनकी दशा में सुधार के लिए संविधान को एक शक्तिशाली यन्त्र बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। साथ ही सम्पूर्ण संविधान से यह आभास मिलता है कि वे प्रजातान्त्रिक एवं विधि के शासन को अवश्यम्भावी मानते थे। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर समान रूप से जोर दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया है कि श्रमिक पुरुषों , स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार आयु का भी दुरुपयोग न हो अतः ऐसी परिस्थितियों का विरोध किया जाए।

4. संविधान के अनुसार , भारत में धर्म , जाति , वर्ण , जन्म नस्ल , कुल , लिंग , जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।